निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 149/2014
दायरा दिनांकः—03.09.2014
निर्णय दिनांकः— 30.07.2024

उनवान

1. हसीना बेगम आयु 65 वर्ष पुत्री अब्दुल रहीम मुसलमान हलगना तहसील छबडा जिला बारां पत्नि मोहम्मद शरीफ मुसलमान निवासी हाल मुकाम अन्ता जिला बारां (राज0) (मृतक)
   A-मोहम्मद फरीद आयु 37 वर्ष पुत्र मोहम्मद शरीफ
   B-शहजाद खां आयु 30 वर्ष पुत्र मोहम्मद शरीफ
   C-जरीफा आयु 35 वर्ष पुत्री मोहम्मद शरीफ
   D-शमा आयु 30 वर्ष पुत्री मोहम्मद शरीफ जाति मुसलमान निवासीगण अंता जिला बारां राज.

बनाम

1. नन्ने खां आयु 62 वर्ष आत्मज अब्दुल रहीम मुसलमान निवासी हलगना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. मुन्ना खां आयु 50 वर्ष आत्मज अब्दुल रहीम मुसलमान निवासी हलगना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. अब्दुल वहीद आयु 58 वर्ष आत्मज अब्दुल रहीम मुसलमान निवासी हलगना हाल सकतपुरा गेट नं0 3 शमशान के पास कोटा (राज0)
4. अब्दुल रजाक आयु 45 वर्ष वर्ष आत्मज अब्दुल रहीम मुसलमान निवासी हलगना तहसील छबडा हाल सकतपुरा गेट नं0 3 साईकिल की दुकान कोटा (राज0)
5. जरीना बेगम आयु 68 वर्ष पुत्री अब्दुल रहीम मुसलमान हलगना पत्नि अब्दुल रजाक मुसलमान हाल मुकाम आरामशीन वाले डुगरी के पास छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,183,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 30.07.2024

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री चिंरोजीलाल भार्गव — वादी
2. श्री राकेश कुमार सोनी — प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 53,88,89,183 188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया है कि वादीया के पिता का नाम अब्दुल रहीम है। वादीया तथा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रतिवादीगण आपस में सगे बहन भाई है अब्दुल रहीम आत्मज काले खां के चार पुत्र क्रमश नन्ने खां, मुन्ना खां, अब्दुल वहीद, अब्दुल रजाक (प्रतिवादीगण 1ता 4) एवं दो बहन क्रमशः जरीना बेगम (प्रतिवादीया नम्बर 5) एवं हसीना बेगम (वादीया) है जो मृतक खातेदार अब्दुल रहीम आतमज काले खां मुसलमान निवासी हलगना तहसील छबडा के वैधानिक वारिस एवं कायम मुकामान है। वाके माल हलगना तहसील छबडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 101 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 128 रकबा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 129 रकबा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 132 रकबा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 201 रकबा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 202 रकबा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 306 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 366 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 414 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा किता 10 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार कृषक स्वामी मालिक एवं काबिज अब्दुल रहीम आत्मज काले खां मुसलमान निवासी हलगना तहसील छबडा थे जमाबन्दी नकल सम्वत् 2019 से 2022 तक की प्रस्तुत है जो खातेदार की पैत्रिक सम्पत्ति थी जिसका फोती इन्तकाल दर्ज होकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के खाते दर्ज हुई जिसका विवरण वर्तमान स्थिति के अनुसार वाद पत्र की मद नम्बर 13 में उल्लेखित है। उपरोक्त आराजीयात के अलावा खातेदार अब्दुल रहीम आत्मज काले खां की खातेदारी में वाके माल हलगना की भूमि खसरा नम्बर 344 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 348 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किता 2 रकबा 3 बीघा के स्वामी मालिक एवं काबिज थे जिसका फोती इन्तकाल आजतक दर्ज नही हुआ जिसकी जमाबन्दी की नकल पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात को वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। खातेदार अब्दुल रहीम पुत्र काले खां की मृत्यु होने पर आराजी वादग्रस्त उल्लेखित मद नम्बर 1 वादपत्र नन्ने खां वहीद (अब्दुल वहीद) मुन्ना खां अब्दुल रजाक पुत्रगण तथा बेवा नन्नी का नाम दर्ज किया जो नन्नी की मृत्यु पर उसका नाम खारिज किया नकल जमाबन्दी 2035–38 पेश है जमाबन्दी संख्या 6 ग्राम हलगना है। खातेदार अब्दुल रहीम की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों से साठ गाठ कर मृतक खातेदार की पुत्रियों का नाम खातेदारी में दर्ज नही होने दिया जबकि खातेदार की मृत्यु होने पर उसकी उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात मे समभाग से हिस्सा प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारी है। इस प्रकार पुत्रियों के हितों पर प्रतिवादीगण के द्वारा भारी कुटाराघात किया गया। प्रतिवादीगण के द्वारा आराजीयात वादग्रस्त को अब्दुल रहीम की मृत्यु के उपरान्त अपने खाते दर्ज करवाकर परस्पर साजिश कर अपनी अपनी सुविधानुसार खातेदारी में दर्ज करवा ली गई। मद नम्बर 2 में उल्लेखित कृषि आराजी के मुताबिक कुल 30 बीघा 17 बिस्वा के अब्दुल रहीम पुत्र काले खां खातेदार कृषक थे। वाके माल हलगना की भूमि खसरा नम्बर 344,348 किता 2 रकबा 3 बीघा वर्तमान में भी अब्दुल रहीम आत्मज काले खां के ही दर्ज है जिसका फोती इन्तकाल अभी तब दर्ज नही किया गया है जिसकी नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 पेश है जिसका फोती इन्तकाल दर्ज कर वादीया एवं प्रतिवादीगण के समभाग से दर्ज किये जाने के पात्र है। साथ ही प्रतिवादीगण ने कपटपूर्ण तरीके से ग्राम हलगना की भूमि खसरा नम्बर 100,101,202,306 को प्रतिवादीगण मुन्ना खां के नाम खसरा नम्बर 128,129,132 को प्रतिवादी अब्दुल रजाक के नाम खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

201 को प्रतिवादी नन्ने खां एवं खसरा नम्बर 366,414 को प्रतिवादी वहीद खां ने अपने अपने खाते दर्ज करवा ली समस्त आराजीयात की जमाबन्दी की नकल पेश है। मृतक खातेदार अब्दुल रहीम आत्मज काले खां मुसलमान (पक्षकारान के पिता) की खातेदारी में कुल 30 बीघा 17 बिस्वा आराजीयात की थी। मृतक के वर्तमान में 4 पुत्र एवं 2 पुत्रिया जिवित है मौजुदा वाद में पक्षकारान है इस प्रकार प्रत्येक वारिस एवं उत्तराधिकारी के 5 बीघा 3 बिस्वा के लगभग का हिस्सा आता हे इसी के मुताबिक वादीया कुल सम्पत्ति कुल 30 बीघा 17 बिस्वा का 1/6 भारा अपने पृथक खाते दर्ज करवाकर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। समय समय पर वादीया प्रतिवादीगण से वादग्रस्त की मद नम्बर 2 में उल्लेखित वादग्रस्त पैत्रकि कृषि आराजीयात के विभाजन पैदा होने वाली कृषि जिन्स में 1/6 हिस्सा देने के लिये कहती रही हमेशा प्रतिवादीगण के द्वारा वादीया को आश्वासन दिया गया कि तुम हमारी बहन है तुम्हारे हितो पर कोई कुठाराघात नही होगा पेत्रिक सम्पत्ति में वादीया को हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता रहा किन्तु प्रतिवादीगण वादीया के साथ टालमटुल का रवैया करते रहे। अन्त में दिनांक 01.08.2014 को अन्तिम वार वादीया ने प्रतिवादीगण से अनुरोध किया तथा कहा कि आप लोगो का व्यवहार मुझ वादीया के साथ कपटपूर्ण रहा है तुमनें पिता अब्दुल रहीम के खाते की कृषि आराजीयात वादग्रस्त को मृत्यु के उपरान्त अपने नाम करवा लिया तथा दोनो बहिनों की उपेक्षा कर खाते में नाम दर्ज नही कराया तथा हमारे 1/6 भाग पर तुमने अवैध तोर पर कब्जा कर रखा है जिसमें मेरा 1/6 भाग बनता है अतः 1/6 भाग पर खातेदारी में मेरा नाम दर्ज करवाओं तथा अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि मुताबिक हिस्सा 1/6 मेरे अलग खाते दर्ज करवाओं जिससे पृथक लगान कायम हो सके वादीया पैदा होने वाली कृषि जिन्स से लाभान्वित हो सके के.सी.सी. आदी बनवा सके वादीया के इतना कहते ही प्रतिवादीगण क्रोधित हो गये उपरेक्त कार्यो से मना कर दिया लडाई झगडा पर आमादा हो गये तथा कहा कि एक इंच जमीन भी नही देगें। प्रतिवादीगण की उपरोक्त धमकी से वादीया को पूर्णरूपेण मान हो चुका है कि प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित पैत्रिक सम्पत्ति में कोई हिस्सा नही देना चाहतें ऐसी स्थिति में सम्मानीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प वादीया के पास शेष नही होने से न्यायालय श्रीमान की सेवा में वाद प्रस्तुत है वाद कारण दिनांक 01.08.2014 कायम किया जाता है। पिता अब्दुल रहीम आत्मज काले खां मुसलमान निवासी हलगना की मृत्यु के उपरान्त उनके स्वामित्व कब्जे एवं मालिकाना अधिकार मे स्थित समस्त कृषि आराजी उल्लेखित मद नम्बर 1 वादपत्र के सम्बन्ध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही को अवैध एवं गैर कानूनी घोषित किये जाने तथा विधि सम्मत तोर पर भूमि पर वादीया को खातेदार दर्ज करने की घोषणा विभाजन मौके पर कब्जा दिलातें हुए स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के मुताबिक उक्त वादग्रस्त आराजीयात में आराजी खसरा नम्बर 344,348 वादीया के मृतक पिता अब्दुल रहीम आत्मज काले खां के ही खाता संख्या 19 ग्राम हलगना में दर्ज रिकार्ड है फोती इन्तकाल दर्ज होकर वादीया प्रतिवादीगण के पक्ष में खाते दर्ज होना है तथा आराजी खसरा नम्बर 100,101,306 एव 202 जमाबन्दी संख्या 117 हलगना खाता मुन्ना खां आत्मज अब्दुल रहीम के खाते दर्ज है। खसरा नम्बर 128,129,132 खाता अब्दुल रजाक आत्मज अब्दुल रहीम जमाबन्दी संख्या 17

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

हलगना दर्ज है खसरा नम्बर 201 खाता संख्या 90 ग्राम हलगना नन्ने खां आत्मज अब्दुल रहीम दर्ज है तथा खाता संख्या 153 हलगना खसरा नम्बर 366,414 खाता वहीद खां आत्मज अब्दुल रहीम मुसलमान के दर्ज है जो पक्षकारान की पैत्रिक सम्पत्ति है जिसमें वादीया का 1/6 हिस्सा है जिसकी वादीया खातेदार घोषित होकर पृथक खाता दर्ज कर कब्जा प्राप्त कर स्थायी निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने की अधिकारणी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टार कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हलगना सम्वत् 2019–22 नकल जामाबन्दी ग्राम हलगना सम्वत् 2035–38 खाता संख्या 6 नकल जमाबन्दी ग्राम हलगना सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 19 नकल जमाबन्दी ग्राम हलगना सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 17 नकल जमाबन्दी ग्राम हलगना सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 90 नकल जमाबन्दी ग्राम हलगना सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 117 नकल जमाबन्दी ग्राम हलगना सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 153 पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 हसीना बेगम के बयान कराये गये प्रतिवादीगण की ओर PW1 से नन्ने खां PW2 अब्दुल रजाक PW3 अब्दुल वहीद PW4 घांसीलाल PW5 रामपाल PW6 मुश्तकिम मुन्ना खां के बयान कराये गये।

वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई। ::–

तनकी नम्बर 1 :– आया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम हलगना तहसील छबडा के खसरा नम्बर 100 रकबा 9.03 बीघा खसरा नम्बर 101 रकबा 1.07 बीघा खसरा नम्बर 129 रकबा 0.02 बीघा खसरा नम्बर 132 रकबा 0.17 बीघा खसरा नम्बर 201 रकबा 0.06 बीघा खसरा नम्बर 202 रकबा 0.17 बीघा खसरा नम्बर 306 रकबा 2.14 बीघा खसरा नम्बर 366 रकबा 5.02 बीघा खसरा नम्बर 414 रकबा 6.19 बीघा खसरा नम्बर 128 रकबा 0.10 बीघा किता 10 रकबा 27.17 बीघा एवं खसरा नम्बर 344 रकबा 1.06 बीघा खसरा नम्बर 348 रकबा 1.14 बीघा किता 2 रकबा 3 बीघा पक्षकारान के स्व0 पिता अब्दुल रहीम आत्मज काले खां मुसलमान की खातेदारी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है।

तनकी नम्बर 2 :– आया कि उपरोक्त विवादित आराजी के 1/6 भाग वादिया मृतक अ0 रहीम की पुत्री होने से प्राप्त करने की अधिकारी है जिसे अपने पृथक खाता विभाजन करवा कर वादिया खातेदारी की घोषणा की डिक्री प्राप्त कर अपना हिस्सा पृथक दर्ज करवा कर कब्जा प्राप्त कर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने की पात्र है।

तनकी नम्बर 3 :– आया कि खातेदार की मृत्यु के उपरान्त दर्ज फोती इन्तकाल वादिया सहित जमीला एवं जरीना प्रतिवादीगण नन्ने खां अब्दुल वहीद मुन्ना खां अब्दुल रजाक के पक्ष में दान (हिबा) कर चुकी है इस कारण वादिया उक्त आराजी में हिस्सा प्राप्त करने की पात्र नही है।

तनकी नम्बर 4 :– आया कि दान निरस्त किये जाने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त होने से मोजुदा प्रकरण न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार का नही होने से सुनवाई का अधिकार नही है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तनकी नम्बर 5 :— अनुतोष

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हलगना तहसील छबडा में स्थित है। वादिया के पिता अब्दुल रहीम है वादिया एवं प्रतिवादीगण आपस में भाई बहिन है विवादित भूमि अब्दुल रहीम पुत्र काले खां के खातेदारी में थी। विवादित आराजी पैत्रक है खातेदार अब्दुल रहीम की मृत्यु के बाद विवादित आराजी फोती नामान्तरण से प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के खाते दर्ज हुई। ग्राम हलगना की आराजी खसरा नम्बर 344 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 348 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि के स्वामी व मालिक अब्दुल रहीम थे जिसका फोती नामान्तरण आज तक दर्ज नही हुआ। खातेदार अब्दुल रहीम की मृत्यु होने पर विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 व बेवा नन्नी का नाम दर्ज किया। नन्नी की मृत्यु के बाद उसका नाम खारिज किया खातेदार अब्दुल रहीम पुत्र काले खां की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 द्वारा मृतक की दो पुत्रियों का समभाग से हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है पुत्रियों के हितों पर प्रतिवादीगण द्वारा भारी कुठाराघात किया है। प्रतिवादीगणद द्वारा भूमि अपने नाम अलग–अलग खाते दर्ज करा ली जबकि वादिया का भी हिस्सा निहित था। मृतक खातेदार अब्दुल रहीम पुत्र काले खां मुसलमान के खाते में 30.17 बीघा भूमि थी मृतक के चार पुत्र दो पुत्रियां है वादिया का कुल भूमि 30.17 बीघा का 1/6 भाग अपने खाते दर्ज कराने की अधिकारी है वादिया का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि विवादित आराजी का फोती नामान्तरण संख्या 128 दिनांक 02.10.1977 को खोला गया था उस समय दोनो बहिने जरीना बेगम व हसीना बेगम ने मुस्लिम कानून के मुताबिक अपने हक का दान (हिबा) अपने चारों भाईयों व मां नन्नी बेंगम के पक्ष में कर दिया था इसलिए दान (हिबा) के कारण फोती नामान्तरण में नाम दर्ज नही किया तभी से विवादित भूमि प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। दान (हिबा) की गई भूमि को 47 वर्ष हो चुके है इतने वर्षो बाद दावा पेश किया है जो अवधि बाहर होने से निरस्त किया जावे। दान (हिबा) को निरस्त करा कर वादिया खातेदारी चाहती है हिबा (दान) को निरस्त कराने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है वादिया हिबा नही किया होता तो उसी समय नामान्तरण में नाम दर्ज हो जाता वादिया ने ना तो नामान्तरण की अपील की ओर न ही समय पर दावा पेश किया गया। खातेदार की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण मे नाम दर्ज नही किया गया तो वादिया को उस फोती नामान्तरण की अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। वादिया ने हिबा (दान) को निरस्त कराने की कार्यवाही भी सिविल न्यायालय में नही की वादिया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपना 1/6 हिस्सा प्राप्त करने का दावा पेश किया है जबकि मुस्लिम कानून के तहत हिस्सा प्राप्त करने का दावा पेश करना चाहिये था। वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज फरमावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादिया के वाद तनकी वार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है। :—

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तनकी नम्बर 1 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था वादिया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हलगाना सम्वत् 2019–22 के अनुसार विवादित आराजी कुल किता 10 रकबा 27.17 बीघा अब्दुल रहीम पुत्र काले खां खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम हलगना सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 19 में अब्दुल रहीम पुत्र काले मिंया दर्ज है। इसके अतिरक्त नकल जमाबंदी ग्राम हलगना सम्वत 2068–71 खाता संख्या 19 की भूमि खसरा नं. 344 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 348 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किता 2 रकबा 3 बीघा अब्दुल रहम पुत्र कालेमिया दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादिया के व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिता के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी अतः यह तनकी वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर था। तनकी को निर्णित करने हेतु अब्दुल रहीम की पुत्रिया हसीना बेगम एवं जरीना बेगम की जीरेह विचारनीय है–

वादिया ने PW1 अपने बयानो की जिरह मे कहां कि अ0 रहीम मेरे पिताजी थें। उनका इन्तकाल आज से 40–42 वर्ष पूर्व हो चुका था। यह सही है कि में मुसलमान हुॅ मुस्लिम धर्म में ही पली हुॅ। यह सही है की मेने हक त्याग को निरस्त कराने की कोई अलग से कार्यवाही नही की यह दावा ही किया है क्योकि मुझे हक त्याग की याद नही है पर सही है कि यह दावा मेने मुस्लिम कानून के तहत नही किया। मेरे भाई मेरी कोई मदद नहीं करते, कोई पैसे नहीं देते, मेरी बीमारी के समय इजाल नहीं कराया, इसलिए मैंने यह दावा किया है।

प्रतिवादी क्रम 5 जरीना बेगम ने अपने जवाब में उल्लेखित किया है कि उनके पिता अब्दुल रहीम की मृत्यु के बाद ग्राम हलगना की भूमि ख. नं. 100, 101, 128, 129, 132, 201, 202, 306, 366, 414 कुल किता 10 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा का फोती इन्तकाल खोला गया उस समय हसीना बेगम सहित सभी वारिसान मौजूद थे। मुझ जरीना बेगम, जमीला बेगम व हसीना बेगम ने उक्त भूमियात में अपनी स्वेच्छा से अपने–अपने हको की भूमियात का हिबा (दान) अपने भाई नन्ने खां, अ. वहीद खा, मून्नू खां, अ. रजाक व माता नन्नी बेगम के हक मे कर दिया था।

वकील प्रतिवादी द्वारा 2011 (3) RLW 1986 (SC) न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है।जिसके अनुसार मुस्लिम विधि अनुसार दान (हिबा) करने के तीन आवश्यक घटक है। 1. दाता द्वारा दान की घोषण 2. आदाता द्वारा दान का प्रतिग्रहण और 3. कब्जे की सुपुर्दगी– दान की विधि मान्यता हेतु लिखत आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम हलगना की आराजी कुल किता 10 रकबा 27.17 बीघा का फोती इन्तकाल नं. 128 दिनांक 02.10.1977 को खोला गया है। चूंकि जमाबंदी ग्राम हलगना सम्वत 2035–38 में नन्हे खां, वहीद खां, मुन्ना खां, अब्दुल रजाक खां पिसरान अब्दुल रहीम खां मु. नन्नी बेगम बेवा अब्दुल रहीम खां का नाम दर्ज हुआ है। तब से ही इन्ही का कब्जा काश्त चला आ रहा है। एवं इन्तकाल खुले 42 वर्ष का समय हो गया है। वादिया हसीना बेगम द्वारा इन्तकाल की अपील नहीं की गई है इससे यह नही कहां जा सकता कि वादी को नामान्तरण खुलने की जानकारी नही रही है या वादी को फोती इन्ककाल की जानकारी नही

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रही इससे साबित होता है कि फोती इन्तकाल के समय हसीना बेगम एवं अन्य बहिनों द्वारा दान (हिबा) किया गया है। तथा इन्तकाल मुस्लिम विधि अनुसार विधिक रूप से सही है।

वाद पत्र मे वर्णित ग्राम हलगना की आराजी खसरा नं. 344 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 348 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किता 2 रकबा 3 बीघा अब्दुल रहम पुत्र कालेमिया के खाते दर्ज है। खातेदार अब्दुल रहीम का स्वर्गवास दिनांक 22.02. 77 को चुका है। लेकिन उक्त भूमि का फोती इन्तकाल आदिनांक तक नहीं खुला है। प्रतिवादी क्रम 5 जरीना बेगम ने अपने जवाब में उल्लेखित किया है कि उनके पिता अब्दुल रहीम की मृत्यु के बाद ग्राम हलगना की भूमि ख. नं. 100, 101, 128, 129, 132, 201, 202, 306, 366, 414 कुल किता 10 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा फोती इन्तकाल खोला गया उस समय हसीना बेगम सहित सभी वारिसान मौजूद थे। हम बहिनों ने अपना हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष मे दान कर दिया था। इससे यह साबित नहीं होता है कि ग्राम हलगना की भूमि खसरा नं. 344 एवं 348 की भूमि में भी वादिया हसीना बेगम द्वारा दान (हिबा) कर दिया हो ओर न ही इस भूमि का इन्तकाल आदिनांक तक खुला है। यह भूमि वादिया के पिता की पैतृक सम्पति है अतः वादिया इसमे अपने हिस्से की अधिकारी है। अर्थात् उक्त विवादित आराजी वाके माल हलगना तहसील छबडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 101 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 128 रकबा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 129 रकबा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 132 रकबा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 201 रकबा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 202 रकबा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 306 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 366 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 414 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा किता 10 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा में वादी खातेदारी अधिकरों की घोषणा के लिये पात्र नही है परन्तु वाके माल हलगना की भूमि खसरा नम्बर 344 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 348 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किता 2 रकबा 3 बीघा में खातेदारी अधिकारों के लिये पात्र है अतः यह तनकी आंशिक रूप से वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :– इस तनकी के तथ्य तनकी नं. 02 में समाहित है। अतः पुनः निर्णित करने की आवश्यकता नहीं है।

तनकी नम्बर 4 :– वाद का निर्णय करने हेतु तनकी नं. 1 व 2 में ही पर्याप्त आधार मौजूद है। अतः इस तनकी को निर्णित करने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन से इस वाद को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है– वादीया द्वारा ग्राम हलगना की भूमि ख. नं. 100, 101, 128, 129, 132, 201, 202, 306, 366, 414 कुल किता 10 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा भूमि का दान (हिबा) कर चुकी है। इस कारण इस भूमि में वादिया का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम हलगना की भूमि खसरा नं. 344 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 348 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किता 2 रकबा 3 बीघा भूमि का आदिनांक तक फोती इन्तकाल नहीं खुला है। वादिया द्वारा इस भूमि का दान (हिबा) करना साबित नहीं है। अतः खसरा नं. 344 एवं 348 की भूमि में वादिया

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अपने हिस्से की अधिकारी है। वादीया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम हलगना की भूमि खसरा नं. 344 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 348 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किता 2 रकबा 3 बीघा में विधिक वारिसान की जांच कर, वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस,
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 149 / 2014	धारा 53,88,89,183,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः— 30.07.2024

समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः—श्री चिरोजीलाल भार्गव—वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः—श्री राकेश कुमार सोनी

वाद शीर्षक

उनवान

1. हसीना बेगम आयु 65 वर्ष पुत्री अब्दुल रहीम मुसलमान हलगना तहसील छबडा जिला बारां पत्नि मोहम्मद शरीफ मुसलमान निवासी हाल मुकाम अन्ता जिला बारां (राज0) (मृतक)

   A- मोहम्द फरीद आयु 37 वर्ष पुत्र मोहम्मद शरीफ

   B- शहजाद खां आयु 30 वर्ष पुत्र मोहम्मद शरीफ

   C- जरीफा आयु 35 वर्ष पुत्री मोहम्मद शरीफ

   D- शमा आयु 30 वर्ष पुत्री मोहम्मद शरीफ जाति मुसलमान निवासीगण अन्ता जिला बारां राज.

बनाम

1. नन्ने खां आयु 62 वर्ष आत्मज अब्दुल रहीम मुसलमान निवासी हलगना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. 2. मुन्ना खां आयु 50 वर्ष आत्मज अब्दुल रहीम मुसलमान निवासी हलगना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. 3. अब्दुल वहीद आयु 58 वर्ष आत्मज अब्दुल रहीम मुसलमान निवासी हलगना हाल सकतपुरा गेट नं0 3 शमशान के पास कोटा (राज0)
4. अब्दुल रजाक आयु 45 वर्ष आत्मज अब्दुल रहीम मुसलमान निवासी हलगना तहसील छबडा हाल सकतपुरा गेट नं0 3 साईकिल की दुकान कोटा (राज0)
5. जरीना बेगम आयु 68 वर्ष पुत्री रहीम मुसलमान हलगना पत्नि अब्दुल रजाक मुसलमान हाल मुकाम आरामशीन वाले डुगरी के पास छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबड़ा जिला बारा (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम हलगना की भूमि खसरा नम्बर 344 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 348 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किता 2 रकबा 3 बीघा में विधिक वारिसान की जांच कर वारिसान के नाम नामान्तरण खोलने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.07.2024 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		